Serial No. 1350 Deed No. 1209

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **09/02/2018** by **Vedwati Devi**
A stamp duty of Rs. **290800**/- and other fees of Rs. **26025**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **1209** in Book No. **1**, Volume No. **33** on pages from **394** to **417** and has been preserved in total **24** pages in C.D. No. **5** / Year **2018**

Date: 09/02/2018 Token No: 1350 /2018

Signature with Date
(**Satya Narayan Choudhary**)
Registering Officer, **Patna**

दस्तावेज की जाँच किया
एवं
दस्तावेज में अंकित वर्णित विवरणी के अनुरूप पाया।
09/2/18
जाँच लिपिक
(प्रवीण कुमार)

SCANNED BY

विकास एकरारनामा

यह उन्नयन मनोबंध/विकास कार्य एकरारनामा आज दिनांक 9/2/2018 ई० को निम्नांकित पक्षों के द्वारा निष्पादित किया गया।

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director
09/02/2018

District Registry Office,Patna

Token Number 1350 | Reg. Year 2018 | Serial Number 1350 | Deed Number 1209

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Executant	Vedwati Devi	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Sig. वेदवती देवी

Identified By Kundan Kumar





Sig. Kundan Kumar
9/2/18

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2800sop028

आदेशानुसार क्रेता, विक्रेता द्वारा दिखाई गई भूमि का जाँच किया, जिसका मौजा आलमगीर नगर, फुलवारी शरीफ था० नं० - 35, खाता नं० - 706 एवं 719, खेसरा नं० - 811, 812, एवं 813, रकबा - 7888 वर्गफीट, भूमि की चौहद्दी :→ उ० → पार्ट प्लॉट नीज जमीन मालीकगण, द० - 20 फीट चौड़ा सहायक सड़क बादहु अपर्णा दयाल अपार्टमेंट, पू० - 20 फीट चौड़ा सहायक सड़क एवं कृष्ण कान्त ओझा का मकान, प० - पार्ट प्लॉट नीज जमीन मालीकगण एवं भूमि की श्रेणी विकास एकरारनामा अवासीय परती पाया।

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,
लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, पटना
20-2-2018

1. **श्रीमती वेदवती देवी,** पति का नाम स्वर्गीय प्रभु नारायण गुप्ता।
2. **श्री रजनीश कुमार गुप्ता,** पिता का नाम स्वर्गीय प्रभु नारायण गुप्ता, खुद वो वली पिता, अभिभावक वो संरक्षक अपने नवालिग पुत्र शुभम राज।
3. **सुश्री स्वर्णा कुमारी,** पिता का नाम श्री रजनीश कुमार गुप्ता, दादा का नाम स्वर्गीय प्रभु नारायण गुप्ता।
4. **श्री मनीष कुमार गुप्ता,** पिता का नाम स्वर्गीय प्रभु नारायण गुप्ता, खुद वो वली पिता, अभिभावक वो संरक्षक अपने नवालिग पुत्र ऋषभ राज एवं नाबालिग पुत्री प्रियंका कुमारी।

सभी का निवास स्थान प्रभु निवास, मित्रमंडल कॉलोनी, साकेत बिहार, पुराना थाना - गर्दनीबाग, वर्त्तमान थाना - फुलवारी, जिला - पटना, बिहार, भारतीय नागरिक, जिन्हें आगे भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्षगण के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो (शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हिबद्व उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे), जिन्हें इसमे भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्षगण कहा गया है। Mob - 7050992329

एवं

मेसर्स साई श्रंखला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (M/S SAI SHRINKHALA DEVELOPERS PVT. LTD.)] जो a company registered under Companeis Act 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या - U45201BR2012PTC018591, जिसका प्रधान कार्यालय - फ्लैट नं0 - 2सी, द्वितीय तल्ला, भगत शरण इन्कलेव, बोरिंग रोड, थाना - श्रीकृष्णापुरी, पटना - 800001, जिला - पटना (बिहार) द्वारा प्रबंध निदेशक **श्री नितीन कुमार**, पिता का नाम स्वर्गीय तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा, भारतीय नागरिक। जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्त्ता/ विकासकर्त्ता इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच निष्पादित हुआ।

Mob no - 9199667755

यह कि भूखण्ड स्वामिगण/प्रथम पक्षगण इस विकास एकरारनामा के अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि मौजा - आलमगीर नगर, परगना वो सर्दे थाना - फुलवारी, जिला - पटना अन्दर थाना

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.

सं0 – 35 (पैंतीस) में एराजी 7888 वर्गफीट भूमि, मिनजुमले 11 कट्ठा भूमि में से, पर भूस्वामिगण के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में हैं। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के अनुसूची – 1 में वर्णित है।

यह कि मौजा – आलमगीर नगर, परगना वो सर्वे थाना – फुलवारी, जिला – पटना अन्दर थाना सं0 – 35 (पैंतीस) में कुल एराजी 5 विगहा 5 कट्ठा 13 धुर 12 धुरकी भूमि जमीन मालिकगण के खानदानी और मौरूषी सम्पत्ति है। जिसे जमीन मालिक सं0 – 1 के ससुर, जमीन मालिक सं0 – 2 एवं 4 के दादा वो जमीन मालिक सं0 – 3 के परदादा हरी नारायण गुप्ता के पिता सौखी लाल गुप्ता वो चाचा बाबु लक्ष्मी नारायण गुप्ता, वल्दान बाबु मानकी साव ने एक निबंधित निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक 16.12.1922 ई0 को नविस्ते अज सेक्रेटेरी ऑफ स्टेट इंडिया से एराजी 78 विगहा भूमि वैय खरीद किये, जिसका वसिका नं0 – 4953 सन् 1922 ई0 के रूप रजिस्ट्री ऑफीस बांकीपुर (पटना) पर निबंधित होकर दर्ज है। जिसपर सौखी लाल गुप्ता वो बाबु लक्ष्मी नारायण गुप्ता अपने छोटे भ्राता नंद लाल गुप्ता के साथ उपर्युक्त खरीदगी एराजी पर शान्तिपूर्ण काबिज दखिल मालिक मुस्तकील होकर वो रहकर उपयोग वो उपभोग करते चले आये। कुछ अरसा बाद सौखी लाल गुप्ता, लक्ष्मी नारायण गुप्ता वो नंद लाल गुप्ता ने अपने सारे सम्पत्तियों का बंटवारा एक निबंधित बंटवारा पत्र दिनांक 23.07.1941 ई0 को कर लिये। जिसका निबंधित बंटवारा पत्र सं0 – 5265 सन् 1941 ई0 के रूप में अवर निबंधन कार्यालय पटना में निबंधित होकर दर्ज है और बंटवारा के रोज से हरी नारायण गुप्ता (जमीन मालिकगण के पूर्वज) के पिता सौखी लाल गुप्ता निबंधित बंटवारा के अनुसार अपने मिले हुए खास हक वो हिस्सा, एराजी 20 विगहा 8 कट्ठा भूमि, पर शान्तिपूर्ण काबिज दखिल मालिक मुस्तकील हुए वो रहते चले आये। कुछ अरसा बाद सौखी लाल गुप्ता अपने चार पुत्रों क्रमशः हरी नारायण गुप्ता (जमीन मालिकगण के पूर्वज), राम लखन लाल गुप्ता, सुखदेव नारायण गुप्ता वो सीता राम गुप्ता को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास अपने पिता के हरी नारायण गुप्ता (जमीन मालिकगण के पूर्वज) अपने उक्त वर्णित भ्रातागण के साथ सारे सम्पत्तियों पर उत्तराधिकारीगण के रूप में काबिज दखिल मालिक मुस्तकील हुए वो रहते चले आये। कुछ अरसा बीत जाने के बाद हरी नारायण गुप्ता अपने पिता के द्वारा छोड़ गये सारे सम्पत्तियों को अपने भ्रातागण

Sai Shrishtala Developers Pvt. Ltd. Director

के साथ एक निबंधित बंटवारा दिनांक 27.01.1955 ई0 को बांट कर निबंधित बंटवारा में वर्णित जमीमा के अनुसार अपने-अपने खास हक वो हिस्से में प्राप्त किये और निबंधित बंटवारा पत्र दिनांक 27.01.1955 के अनुसार जमीमा नं0 - 2 में वर्णित कुल एराजी 5 विगहा 5 कट्ठा 13 धुर 12 धुरकी भूमि पर जमीन मालिकगण के पूर्वज हरी नारायण गुप्ता के खास हक वो हिस्से में प्राप्त हुआ और बंटवारा के रोज से हरी नारायण गुप्ता शान्तिपूर्ण काबिज दखिल हुए मालिक मुस्तकील हुए वो रहते चले आये। कुछ अरसा बाद हरी नारायण गुप्ता अपने पांच पुत्रों क्रमशः जगदीश नारायण गुप्ता, प्रभु नारायण गुप्ता (जमीन मालिक सं0 - 1 के पति वो 2 एवं 4 के पिता एवं 3 के दादा), श्री नारायण गुप्ता, शिव नारायण गुप्ता वो बद्री नारायण गुप्ता को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद हरी नारायण गुप्ता के पांचों पुत्रों ने अपने पिता के स्वर्गवास उपरांत उनके द्वारा छोड़े गये सारे सम्पत्तियों पर समिलात काबिज दखिल मालिक मुस्तकील हुए वो रहते चले आय। इसी दरम्यान जमीन मालिक सं0 - 1 के पति वो 2 एवं 4 के पिता एवं 3 के दादा प्रभु नारायण गुप्ता ने मौजा - आलमगीर नगर, परगना वो सर्वे थाना - फुलवारी, जिला - पटना अन्दर थाना सं0 - 35 (पैंतीस) में एराजी 1 विगहा 5½ डिसमिल भूमि को अपने भ्रातागण के साथ समिलात रूप से श्री जगदीश नारायण गुप्ता, श्री नारायण गुप्ता, श्री शिव नाराण गुप्ता वो श्री बद्री नारायण गुप्ता ने एक निबंधित निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक 11.12.1973 ई0 को नविस्ते श्री श्याम देव यादव, श्री देव नारायण यादव, वल्दान श्री मिठु राय यादव, साकिन - पुनाईचक, थाना - गर्दनीबाग, जिला - पटना से वैय खरीद किये। इस प्रकार प्रभु नारायण गुप्ता अपने चारो भ्राता के साथ अपने सारे खानदारी और उपर्युक्त खरीदगी एराजी पर समिलात रूप से शांतिपूर्ण काबिज दखिल मालिक मुस्तकील हुए वो रहते चले आये। कुछ अरसा बाद श्री प्रभु नारायण गुप्ता अपने खानदानी और खरीदगी सारे संयुक्त सम्पत्तियों का बंटवारा अपने भ्रातागण के साथ बराबर-बराबर कर लिये। जिसमें प्रभुनारायण गुप्ता (जमीन मालिक सं0 - 1 के पति वो 2 एवं 4 के पिता एवं 3 के दादा) को इस विकास एकरारनामा में वर्णित भूमि के साथ-साथ अन्य सम्पत्तियाँ खास हक वो हिस्से में प्राप्त हुआ और बंटवारा के रोज से प्रभु नारायण गुप्ता (जमीन मालिक सं0 - 1 के पति वो 2 एवं 4 के पिता एवं 3 के दादा) अपने मिले हुए खास हक वो हिस्से की सम्पत्तियों पर शांतिपूर्ण काबिज दखिल मालिक मुस्तकील हुए वो

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director

रहते चले आये। बाद प्रभु नारायण गुप्ता अपने सारे सम्पत्तियों को अपनी पत्नी (जमीन मालिक सं0 – 1) अपने दो पुत्रों (जमीन मालिक सं0 – 2 एवं 4) वो पौत्री (जमीन मालिक सं0 – 3) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास जमीन मालिकगण उपर्युक्त कंडिका – 5 में वर्णित सम्पत्ति के साथ-साथ अन्य सम्पत्तियों पर समिलात रूप से काबिज दखिल मालिक मुस्तकील रहते चले आते हैं और हैं और सम्पत्ति संबंधि व्यवस्था करके वो कराकर इसमे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुए चले आ रहे हैं।

अतएव, जमीन मालिकगण ने इच्छा व्यक्त किये है कि उपरोक्त सम्पत्ति जो इनके दखल कब्जा के साथ हक, स्वामित्तव एवं अधिकार में है और जो सब तरह के नुक्स हकियत, स्वत्वदोष, अर्जन, विवादों एवं झंझट से बिल्कुल मुक्त है जो वर्तमान हालत में जमीन मालिकगण को अपना पूर्ण हक, अधिकार और स्वामित्व हस्तांतरण पूर्ण एवं अंश में करने का अधिकार प्राप्त है।

अतएव, जमीन मालिकगण इच्छा व्यक्त करतें हैं कि अनुसूची – 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजीला आवासीय भवन का विकास और बनावट हो जाए। विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्षकार) जमीन मालिकगण के उक्त दिलचस्पी के बारे में जानकारी हुआ तब, विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण (प्रथम पक्षकार) के पास बहुमंजिला आवासीय भवन इनके जमीन पर बनाने की दिलचस्पी व्यक्त किये और सम्पर्क किये और ऑफर दिये कि सम्परिवर्तित आधार पर उपर्युक्त भूमि, जो इस विकास एकरारनामा के अनुसूचि – 1 में वर्णित है, को विकसित कर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण अच्छे ढंग से बनायेगें और कुल भवन के बनावट में से प्रतिशत के अनुसार उक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अपने हिस्से को प्रस्तावित खरीदारों के पक्ष में हमेंशा के लिए बिक्री कर देंगें और बचे हुए प्रतिशत को जमीन मालिकगण को सुपूर्द कर देंगें। तत्पश्चात जमीन मालिकगण और विकासकर्त्ता आपस में उपर्युक्त बातचीत को तय वो पोख्ता किया और उपर्युक्त बातचीत दोनों पक्षों के बीच तय वो पोख्ता होने के पश्चात किया कि निम्नांकित अनुसूचि – 1 भूखण्डों पर बहुमंजिला भवन के रूप विकसित करने हेतु यह विकास एकरारनामा को निम्नलिखित शर्त्तों एवं स्थितियों पर किया और इसके एकरार को स्वीकार किया:–

(1) यह कि **मेसर्स साई श्रंखला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड** एक रियल स्टेट कम्पनी है, जिसका मुख्य उद्देश भूमि का विकास कर बहुमंजिला इमारत बनाना, ग्रुप हॉउसिंग/टाउनशिप का निर्माण करना, कॉलोनी बसाना, व्यावसायिक /आवासीय बहुमंजिला इमारत बनाना, मॉल बनाना वो अनेक प्रकार से भूमि का विकास कर उसे अपने क्रेता को बेचना है।

(2) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को जमीन मालिकगण ने अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि के सबंधि में यह विश्वास दिलाया कि भूमि हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त हे। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिकगण पर होगा और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्त्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिकगण का रहेगा।

(3) यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि पर एक भूकम्प अवरोधि बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जायेगा।

(4) यह कि उपर्युक्त सम्पत्ति जमीन मालिकगण दखल कब्जे में है साथ हीं वे उसके निर्विवाद, स्वामिगण, हकदार और दिलचस्पीकारगण है जो सब तरह के ऋणभारों और स्वत्वदोषों से बिल्कुल मुक्त हैं और वे पूर्णरूपेन स्वत्वाधिकारगण और निर्विवाद अधिकारीगण एवं हकदार उपर्युक्त सम्पत्ति के कुल या इसके अंश को हस्तानान्तरित करने हेतु है।

(5) यह कि जमीन मालिकगण अपने उपुर्यक्त भूखण्ड या इसके अंश को किसी भी सूरत में बिक्रय, गिरवी, तबादलनामा, पट्टा, उप-पट्टा, न्यास, कर निर्धारण, रेहन की गई वस्तु या किसी तरह के किराया या कोई अन्य ऋणभारों में नहीं दिया है और न रखेगें।

(6) यह कि जमीन मालिकगण उपर्युक्त भूखण्डों को भू अर्जन/अर्जन की मांग की अधिसूचना या इससे संबंधित कोई सूचना पूर्व में या वर्त्तमान में प्राप्त नहीं किया है और न उससे संबंधित पटना नगर निगम/नगर परिषद् फुलवारी /सक्षम प्राधिकारी से हीं पूर्व में प्राप्त किया है और उपर्युक्त भूखण्डों या इसके अंश को आयकर विभाग या कोई अन्य

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd. Director

सरकार या इसके प्राधिकार या अर्जन से संबंधित सूचना या अधिसूचना नहीं हुई है।

(7) यह कि उपर्युक्त भूमि पर पूर्व या बाद में अटैचमेंट या उपर्युक्त भूमि के विरूद्ध कोई फैसला, वाद, डिक्री, रोक, आदेश, सूचना, नोटिस, पेटिशन या निर्णायक आदेश, नहीं हुआ है।

(8) यह कि जमीन मालिकगण के अलावे कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त सम्पत्ति के पूर्ण भाग या इसके अंश के पट्टीदार, हकदार, स्वत्वाधिकारी नहीं है।

(9) यह कि जमीन मालिकगण उपर्युक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य एकरारनामा बिक्रय या विकास हेतु किन्हीं के साथ अभीतक नहीं बनाये हैं, न किये है और न कभी करेगें।

अब दोनों पक्षगण इस विकास एकरारनामा को साक्षियों के समक्ष निम्नानुसार अनुसरित करते हैं:-

1 जमीन मालिकगण ने उपरोक्त विकासकर्त्ता को जमीन का विकास करने के लिए विकासकर्त्ता नियुक्त किया है जिसपर विकासकर्त्ता अनुसूचि - 1 में वर्णित जमीन का विकास बहुमंजिला भवन के रूप में करने के लिए और उससे संबंधित सभी कार्यो और बातों को पूरा करने के लिए सहमत है। जिसके लिए जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को निम्नांकित अनुसूचि - 1 में वर्णित भूमि पर दखल कब्जा बनावट की कीमत पर सुपूर्द किया, जिसके बनावट में जो भी खर्च होगा उसे विकासकर्त्ता वहन करेगें, साथ-ही-साथ भवन निर्माण के समय अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी विकासकर्त्ता की होगी और वे उसके लिए न्यायालय के समक्ष कानूनन स्वीकार करेगें, जिसके लिए जमीन मालिकगण किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगें। विकासकर्त्ता अपने खर्च से बहुमंजिला भवन में सेवरेज, ड्रेनेज के साथ जितने तरह का फिटींग्स, फिक्चर, विद्युत का फिटींग्स, पानी कनेक्कशन, जनरेटर, इंटरकॉम, लिफ्ट एवं जमीन मालिकगण को बिजली कनेक्शन वैगरह की सुविधा के साथ पूर्ण विकसित भवन का निमार्ण उपर्युक्त जमीन पर जमीन मालिकगण और दूसरे एवं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करायेंगे एवं सहुलियत देगें।

2 जमीन मालिकगण और विकासकर्त्ता ने सामिलात तौर पर निश्चिय किया है कि एफ0 ए0 आर0 प्रतिशत पटना नगर

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director

निगम/नगर परिषद् फुलवारी /सक्षम प्राधिकारी के भवन से संबंधित उप नियमों के अनुसार लागू होगा।

3 इस विकास शर्तनाम के लिर्पिब्ध होने के तुरंत बाद विकासकर्त्ता शीघ्रातिशीघ्र उल्लेखित प्रांगण पर भवन का नक्शा तैयार करने का काम एक अच्छे और जानकार आर्चिटेक्क और इंजीनीयार से आरंभ कर देगें।

4 यह कि विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण से मिलकर पटना नगर निगम/नगर परिषद् फुलवारी /सक्षम प्राधिकारी से नक्शा स्वीकृत करायेगें और उसी नक्शे के अनुरूप बहुमंजिला भवन का निर्माण करेगें।

5 जमीन मालिकगण उपरोक्त पूर्ण भूमि को कीमत प्राप्ति के शर्त पर जो नीचे लिखा हुआ है विकासकर्त्ता को हर तरह से कर्ज मुक्ति के साथ सुपुर्द किया।

6. यह कि जमीन मालिकगण एवं विकासकर्त्ता आपसी सहमति से अपने-अपने हिस्से के फ्लैट एवं पार्किंग स्थल का बंटवारा नक्शा पास होने के बाद करेगें।

7. यह कि कीमत के रुप मे विकासकर्त्ता ये स्वीकार करते हैं कि जमीन मालिकगण को 50 (पचास) प्रतिशत फ्लैटों के साथ-साथ कार पार्किंग स्पेशों एवं भूमि में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा पूर्ण रुप से बने हुए क्षेत्र में से बिना कोई कीमत लिए जमीन मालिकगण को दे देगें। जिसके जमीन मालिकगण निर्विवाद रूप में पूर्ण स्वामिगण, स्वत्वाधिकारीगण, सर्वाधिकारीगण और दखलकारगण होगें, जिसे वे जिस प्रकार से चाहें पूर्ण रूप से स्वामिगण के रूप में उपयोग वो उपभोग करेगे और पूर्ण अधिकार एव स्वामित्व से उसे किन्हीं अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, संस्था, फर्म और अन्य वैगरह को इस विकास एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप जिस तरह या जिस तरीके से अनिवार्य होगा उसे हस्तानान्तरित करेगें और बकिये 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) पूर्ण रुप से बना हुआ क्षेत्र विकासकर्त्ता का क्षेत्र कहा जायेगा। जिसके विकासकर्त्ता बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 की धारा 5 वैगरह के अन्तर्गत पूर्णरूपेन निर्विवाद रूप से स्वामी, मालिक, अधिकारी, स्वत्वाधिकारी, सर्वाधिकारी और दखलकार होगें और उसे विकासकर्त्ता जिस किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, फर्म और अन्य वैगरह को जिस तरीके से भी चाहें

पटना

मनीष कुमार गुप्ता Swarna Kumari 9-2-18

रजनीश कुमार गुप्ता 9-2-18

वेदवती देवी 09-2-2018

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director
09/02/2018

बिक्रय या पट्टा पर तथा किसी अन्य तरह से हस्तानान्तरित करेगें और पूर्ण रूपेन करने का अधिकार प्राप्त होगा।

8 यह कि भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर बनायी जायेगी और जो कुल क्षेत्र बनावट में होगा उसी को पारा 6 में वर्णित 50-50 (पचास-पचास प्रतिशत) के आधार पर विकासकर्त्ता और जमीन मालिकगण के बीच विभाजित किया जायेगा और उसी के अनुरूप उक्त प्रतिशत के आधार पर दखल-कब्जा एवं खास, दाज वो हिस्सा होगा।

9. यह कि दोनो पक्षों के बीच यह सहमति बनी है की पटना नगर निगम/नगर परिषद् फुलवारी/सक्षम प्राधिकारी के अन्तर्गत भवन नियमावली तथा उपब्धियों के अनुरूप भवन के निर्माण में बदलाव या परिवर्त्तन होगा जो जमीन मालिकगण के सहमति से अपने जिम्मेवारी और खर्चो से विकासकर्त्ता करेगें। तब जिसे दोनों पक्षगण उपर्युक्त पचास-पचास प्रतिशत के अनुसार विभाजित कर अपने-अपने हिस्से में ले लेंगें।

10. यह कि जमीन मालिकगण को अपने मिले हुए 50 (पचास) प्रतिशत विल्टअप एरिया हिस्से को जिस प्रकार चाहें बिहार सरकार के अभिलेखों, पटना नगर निगम के अभिलेखों तथा जहाँ-जहाँ और जिस-जिस स्थानों पर अनिवार्य हो वहाँ-वहाँ अपने नामों नामांकित करा लेगें और इसी के अनुरूप करों का भुगतान अपने-अपने स्तरों से करेगें।

11 यह कि दोनो पक्षों के बीच यह सहमति बनी है कि जमीन मालिकगण के जमीन पर वहुमंजिला भवनं के निर्माण होने के बाद तथा जमीन मालिकगण को बिना हर्जा-खर्चा के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) बनावट विकासकर्त्ता पूर्ण रूप से विकसित कर जमीन मालिकगण के हिस्से को सुपूर्द करेगें। इस तरह विकासकर्त्ता द्वारा नक्शा स्वीकृत होने और जमीन मालिकगण के द्वारा अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि पूर्ण दखल कब्जा सुपूर्द करने तथा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करने की तिथि से करीब **तीन वर्ष एवं छः माह** रियायत समय में भवन का निर्माण का काम पूरा कर देगें तथा जब किसी तरह का सरकारी आदेश या नियम में परिवर्तन या भयंकर दुर्घटना एवं प्राकृतिक विपदा हो जाएगा तो समय सीमा में बढ़ोतरी हो सकती है। इस निर्धारित सीमा तक भवन का निर्माण पूर्ण करने को विकासकर्त्ता बाध्य होगें और इसी

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director

निर्धारित सीमा में जमीन मालिकगण का हिस्सा विकास एकरारनामा निबंधित के तिथि से सुपूर्द कर देगें। अगर विकासकर्त्ता निर्धारित **तीन वर्ष एवं छः माह** रिआयत समय तक भवन का निर्माण पूर्ण रूप से विकरित नहीं करेगा, तो विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण को पूर्ण जमीन का **5/- रूपये प्रति वर्गफीट** प्रत्येक महीना हर्जाना देगें तब तक देते रहेगें जब तक कि विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि पर अनुसूचि - 2 के अनुसार पूर्ण करके जमीन मालिकगण का 50 (पचास) प्रतिशत बिल्ट अप एरिया नहीं दे देगें।

12 यह कि इस शर्तनामा-पत्र के जरिये जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को विकास नक्शा, निर्माण और 50 (पचास) प्रतिशत बहुमंजीलय भवन को बिक्रय करने हेतु कब्जा दे दिया और इसलिए विकासकर्त्ता का जमीन पर पूर्ण स्वामित्व वो अधिकार होगा फिर भी जमीन मालिकगण का जो स्वामित्व है वह बिक्रय-पत्र या मुक्ति-पत्र निबंधिन के पश्चात हीं हस्तानान्तरित होगा।

13 यह कि विकासकर्त्ता बिल्कुल स्वतंत्र विकासकर्त्ता रहेगें और उस बीच कोई तृतीय पक्ष निर्माण अथवा विकास में बाधक नहीं होगा।

14 यह कि जमीन मालिकगण अपने लिए विकासकर्त्ता को इस शर्तनामा में दिये गये दूसरे प्रविधानों को निम्नलिखित कार्य दस्तावेज और कोई खास विषय पूर्ण अधिकार दे रही हैं जो निम्नलिखित काम करेगें।

15 यह कि प्रस्तावित भवन ब्लॉको के रूप में जो उपर्युक्त भूखण्डों पर निर्माण होने वाला है उससे संबंधित नक्शा संबंधित प्राधिकार के यहाँ दाखिल करेगें और संबंधित अधिकारियों के यहाँ उचित आवेदन-पत्र उनकी स्वीकृति और आदेश हेतु दाखिल करेगें और साथ-साथ यह भी अधिकार प्रदान किया जाता है जो भी लेख्य होगा उस संबंध में नक्शा की स्वीकृति और पारित होने के उदेश्य से सब पर विकासकर्त्ता हस्ताक्षर करेगें।

16 यह कि विकासकर्त्ता सिर्फ सिल्पकार भूमापक अभियंता, ठीकेदार और दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करेगें।

17 यह कि विकासकर्त्ता सम्बन्धित अधिकारियों के पास विधुत लाईन लेने अथवा सिमेंन्ट लोहा और दूसरे नियंत्रित वस्तुओं

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.

का कोटा लेने के लिए अपने खर्चे पर या अनुज्ञा पत्र लेने के लिए आवेदन देगें। जिसके लिए जमीन मालिकगण से किसी भी प्रकार का खर्च नहीं वसुल करेगें।

18 यह कि विकासकर्त्ता कोई रीट सम्मन या दूसरे कानूनी नोटिस आदि लेने और किसी भी न्यायालय दण्डाधिकारी न्यायिक द्रिव्यूनल अथवा दूसरे कार्यालयों में जमीन मालिकगण का प्रतिनिधित्व करगें। वे उपरोक्त सम्पत्ति से सम्बंधित विकास के लिए मुकदमा दायर करेगें और मुकदमें में हाजिर होकर बचाव करेगें और कोई भी कार्य किसी भी न्यायालय या किसी पब्लिक भवन जन पदाधिकारी सार्वजनिक पदाधिकारी या ट्रिव्यूनल जो उपर्युक्त सम्पत्ति या इसके विकास या उसके किसी हिस्से के विकास सम्बंधी होगा करने के अधिकारी होंगें और उसके लिए कोई भी कागजात, वकालतनामा, दावा पत्र, वाद पत्र, आदेश, आवेदन पत्र, कागज या लिखित किसी भी कागज पर विकासकर्त्ता हस्ताक्षर करेगें। किसी भी कानूनी कार्यवाही की हालत में किसी भी न्यायालय में जो जमीन मालिकगण के अभिरूची के विरूद्ध होगा विकासकर्त्ता अपने खर्च से जमीन मालिकगण का हकियत और अभिरूची बचाने के लिए सभी कदम अपनावेगें और इसके लिए समय-समय पर जमीन मालिकगण से उनको परामर्श लेते रहेगे।

19 यह कि विकासकर्त्ता भवन के निर्माण करने हेतु मजदूरों का ठिकदार को निविदा के आधार पर देगें तथा जमीन मालिकगण के राय से उपर्युक्त भूमि पर भवन का निर्माण उक्त ठिकदार से राय मशविरा लेकर आर्चिटेक्क एव इंजीनीयर के निर्देशानुसार करेगें।

20. यह कि विकासकर्त्ता उपरोक्त सम्पत्ति के विकास के लिए जो भी उचित काम दस्तावेज या दूसरी बात जो कानूनी तरह से जरूरत हो करेगें।

21 यह कि विकासकर्त्ता अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से के क्षेत्र में बिल्डींग/ भवन का फ्लैट या कोई क्षेत्र को किसी को आवंटित करगें या बेचेगें और उससे पैसा प्राप्त करेगें और उसको सभी फ्लैटों के निर्माण और विकास में खर्च करेगें या स्वयं उपयोग करगें।

22 यह कि फिर भी विकासकर्त्ता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ जो भवन में से कोई फ्लैट या कोई उसका हिस्सा

रजनीश कुमार गुप्ता 9-2-18

बेदवतीदेवी 9-2-2018

मनीष कुमार गुप्ता 9-2-18

Swarna Kumari 9-2-18

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director
09/02/2018

स्वामित्व आधार पर लेना चाहता है अगर जमीन मालिकगण से सहमति हासिल करना हो तो जमीन मालिकगण उसे पक्का करने हेतु अपना हस्ताक्षर करेगें। जितनी रकम इस एकरारनामा के अन्दर निर्मित भवन के फ्लैट के लिए प्राप्त होने वाला है उसे विकासकर्त्ता प्राप्त करेगें और अपने व्यवहार लायेगें।

23 यह कि ठीक उसी तरह जमीन मालिकगण अपने क्षेत्र में बिल्डीग/ भवन का कोई क्षेत्र को बेचने अथवा किसी दूसरे तरह से भवन में निर्मित फ्लैटों या उसका कोई क्षेत्र/हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए स्वतंत्र हैं। विकासकर्त्ता उसमें खरीदार या प्राप्तकर्त्ता के इच्छा के अनुरुप उस कागज पर दस्तखत करेगें और जमीन मालिकगण को अपने हिस्से 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) के क्षेत्र को बिक्रय करने तथा हस्तानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और होगा और उससे प्राप्त कुल रकमों को प्राप्त करने का पूर्ण हक प्राप्त होगा।

24 यह कि भवन निर्माण पूर्ण होने पर जमीन मालिकगण अगर विकासकर्त्ता फ्लैट बेचने या हस्तानान्तरित करने के समय या किसी दूसरे व्यक्ति को देने के समय जिसमें स्वामित्व, कब्जा और हकियत हस्तानान्तरित के वास्ते जमीन मालिकगण का स्वीकृति चाहेगें तो उसपर जमीन मालिकगण हस्ताक्षर कर अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान करेगें।

25 यह कि भवन निर्माण के समय विकासकर्त्ता किसी बैंक आर्थिक संस्था या किसी भी प्राधिकार के कम समय के लिए किसी व्यक्तिगत खरीदार के लिए निर्माण को पूरा करने हेतु कानूनी इजारा सिर्फ विकासकर्त्ता अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से को बंधक रख सकतें हैं और उस हालत में अगर जमीन मालिकगण की स्वीकृति चाहेगें तो जमीन मालिकगण आपस में परामर्श करके स्वीकृति प्रदान करेगें। परन्तु, जमीन मालिकगण के हिस्से में किसी भी प्रकार का इजारा नहीं करेगें।

26 यह कि विकासकर्त्ता यह वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जो भी रुपया अपने हिस्से के जमीन या मकान को बंधक रखकर इजारा करके या किसी भी तरह से प्राप्त करेगें उसको निर्माण के कार्य में हीं खर्च करेगें और दूसरे कार्य में खर्च नहीं करेगें।

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director

27 यह कि अगर यह पाया जाये कि विकासकर्त्ता किसी आर्थिक संस्था या किसी व्यक्ति से उपरोक्त अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से के जमीन पर कर्ज लेकर दूसरे मद में खर्च किये हुए हैं तो उसका बंधन जमीन मालिकगण प्रथम पक्ष पर नहीं होगा।

28 यह कि विकासकर्त्ता यह भी स्वीकार करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरा कर्ज विकासकर्त्ता या इनके खरीदारों के हिस्से से वसुल किया जायेगा और जमीन मालिकगण को उससे कोई सम्बंध नही होगा।

29 यह कि अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विकासकर्त्ता या उनके खरीदार अपने 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) बनावट के साथ-साथ अनुसूचि - 1 में वर्णित भूखण्डों में अनुपातित भू-भाग के निर्विवाद स्वामी पूर्ण रूपेन होंगे इससे जमीन मालिकगण तथा इस सभी के उत्तराधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधार पर विरोध, आपत्ति तथा दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को स्थाई पावर ऑफ एटर्नी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसप्रकार विकासकर्त्ता को उपरोक्त भूखंडो पर फ्लैट निमार्ण से सम्बंधित सभी तरह का कार्य करने या विकास करने नक्शा बनाने भवन निर्माण करने या उसको बेचने का शान्ति पूर्ण अधिकार होगा।

30 यह कि जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण सम्पति जिसका विकास करना है उसपर किसी तरह का नोटिस या घोषणा जो जमीन से भू-अर्जन के लिए हो किसी भी कानून के अन्तर्गत आज तक नहीं हुआ है और उपरोक्त सम्पति बिल्कुल पाक साफ है।

31 यह कि जमीन मालिकगण यह भी कहती हैं और विश्वास दिलातें हैं कि पटना नगर निगम अथवा किसी भी अधिकार क्षेत्र द्वारा लेने या भू-अर्जन हेतु इस सम्पति में या उसके किसी हिस्से पर कोई नोटिस या आदेश पारित नहीं हुआ हैं। और किसी भी तरह का निगम या किसी दूसरे अधिकारी द्वारा कोई अनुरोध नहीं हुआ है जिससे उपरोक्त सम्पति या उसका कोई हिस्सा प्रभावित होगा।

32 यह कि कोई कानूनी दावा मांग जप्ति कोई निशेषधात्मक आदेश किसी कर प्राधिकारी द्वारा लगान अधिकारी द्वारा

Sai Shrinidhi Developers Pvt. Ltd.
Director

निगम अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा या कोई स्थानीय अधिकार द्वारा किसी तरह का ऐसा आदेश नहीं है।

33 यह कि कोई जप्ति फैसले के पहले या वाद नहीं है और कोई दावा मांग मुकदमा डिग्री निषेधाज्ञा लम्बित मुकदमा नोटिस दिवालियापन का नोटिस आवेदन-पत्र फैसले का आदेश इस जमीन पर या किसी हिस्से पर जारी नहीं है।

34 जमीन मालिकगण के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति को स्वामित्व, हकियत अभिरुची या हिस्सा उपरोक्त सम्पति में नहीं है या उसके हिस्से पर हिस्सेदार के हैसयित से या गोतिया के हैसियत से या सम्मिलित परिवार या किसी भी तरह से कोई हकियत नहीं हैं।

35 यह कि जमीन मालिकगण वेनामीदार या न्यासी उपरोक्त सम्पति के निर्वाह या उसके रखने के सम्बंध में नहीं है। और सम्मिलित परिवार की सम्पति से अर्जित नहीं है।

36 यह कि जमीन मालिकगण स्थाई रुप से वादा करते हैं कि वे उपरोक्त सम्पति या उसके किसी हिस्से को न तो बेचेगें न किसी को देगें और न हस्तान्तरित करने का कोई कागज लिखने या किसी खास मकसद हेतु उपरोक्त सम्पति को विकासकर्त्ता को जमीन पर विकास करने के पूर्व पूर्ण कब्जा देगें और आगे कोई भी कार्य करने कोई दस्तावेज लिखने और कोई काम ऐसा नहीं करेगें जो इस शर्तनामा के नियमों के या घोषणा के विरुद्ध हो। परन्तु जमीन पर विकास हो जाने के बाद जमीन मालिकगण को यह अधिकार होगा की वे अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से को किसी को हस्तान्तरित कर सकते हैं।

37 यह कि जमीन मालिकगण इस घोषणा-पत्र को बिना कोई क्षति पहुंचाये वादा करती हैं कि इस सम्पति (जमीन) के संबंध में जो भी सन्देह या सक पैदा होगा अपने खर्च से इस सारे सक और सन्देह को विकासकर्त्ता के कथानुसार या उनके प्रतिनिधि के अनुसार दुर करेगें।

38 यह कि घोषणा-पत्र के सत्यापित करने हेतु जो उपर किया गया है उपरोक्त जमीन मालिकगण और खास करके अपने स्थाई स्वामित्व के संबंध में और अपने हकियत के सम्बन्ध में घोड्डणा करती हैं कि यह सम्पति हर तरह के वारदैन से मुक्त हैं और पुनः वादा करते हैं कि उक्त सम्पति पर या उसके किसी हिस्से पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेगें और

का कोटा लेने के लिए अपने खर्चे पर या अनुज्ञा पत्र लेने के लिए आवेदन देगें। जिसके लिए जमीन मालिकगण से किसी भी प्रकार का खर्च नहीं वसुल करेगें।

18 यह कि विकासकर्त्ता कोई रीट सम्मन या दूसरे कानूनी नोटिस आदि लेने और किसी भी न्यायालय दण्डाधिकारी न्यायिक द्रिव्यूनल अथवा दूसरे कार्यालयों में जमीन मालिकगण का प्रतिनिधित्व करगें। वे उपरोक्त सम्पत्ति से सम्बंधित विकास के लिए मुकदमा दायर करेगें और मुकदमें में हाजिर होकर बचाव करेगें और कोई भी कार्य किसी भी न्यायालय या किसी पब्लिक भवन जन पदाधिकारी सार्वजनिक पदाधिकारी या ट्रिव्यूनल जो उपर्युक्त सम्पत्ति या इसके विकास या उसके किसी हिस्से के विकास सम्बंधी होगा करने के अधिकारी होंगें और उसके लिए कोई भी कागजात, वकालतनामा, दावा पत्र, वाद पत्र, आदेश, आवेदन पत्र, कागज या लिखित किसी भी कागज पर विकासकर्त्ता हस्ताक्षर करेगें। किसी भी कानूनी कार्यवाही की हालत में किसी भी न्यायालय में जो जमीन मालिकगण के अभिरूची के विरूद्ध होगा विकासकर्त्ता अपने खर्च से जमीन मालिकगण का हकियत और अभिरूची बचाने के लिए सभी कदम अपनावेगें और इसके लिए समय-समय पर जमीन मालिकगण से उनको परामर्श लेते रहेगे।

19 यह कि विकासकर्त्ता भवन के निर्माण करने हेतु मजदूरों का ठिकदार को निविदा के आधार पर देगें तथा जमीन मालिकगण के राय से उपर्युक्त भूमि पर भवन का निर्माण उक्त ठिकदार से राय मशविरा लेकर आर्चिटेक्क एव इंजीनीयर के निर्देशानुसार करेगें।

20. यह कि विकासकर्त्ता उपरोक्त सम्पत्ति के विकास के लिए जो भी उचित काम दस्तावेज या दूसरी बात जो कानूनी तरह से जरूरत हो करेगें।

21 यह कि विकासकर्त्ता अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से के क्षेत्र में बिल्डींग/ भवन का फ्लैट या कोई क्षेत्र को किसी को आवंटित करगें या बेचेगें और उससे पैसा प्राप्त करेगें और उसको सभी फ्लैटों के निर्माण और विकास में खर्च करेगें या स्वयं उपयोग करगें।

22 यह कि फिर भी विकासकर्त्ता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ जो भवन में से कोई फ्लैट या कोई उसका हिस्सा

रजनीश कुमार गुप्ता 9-2-18

बेदवतीदेवी 9-2-2018

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director
09/02/2018

मनीष कुमार गुप्ता 9-2-18

Swarna Kumari 9-2-18

स्वामित्व आधार पर लेना चाहता है अगर जमीन मालिकगण से सहमति हासिल करना हो तो जमीन मालिकगण उसे पक्का करने हेतु अपना हस्ताक्षर करेगें। जितनी रकम इस एकरारनामा के अन्दर निर्मित भवन के फ्लैट के लिए प्राप्त होने वाला है उसे विकासकर्त्ता प्राप्त करेगें और अपने व्यवहार लायेगें।

23 यह कि ठीक उसी तरह जमीन मालिकगण अपने क्षेत्र में बिल्डीग/ भवन का कोई क्षेत्र को बेचने अथवा किसी दूसरे तरह से भवन में निर्मित फ्लैटों या उसका कोई क्षेत्र/हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए स्वतंत्र हैं। विकासकर्त्ता उसमें खरीदार या प्राप्तकर्त्ता के इच्छा के अनुरुप उस कागज पर दस्तखत करेगें और जमीन मालिकगण को अपने हिस्से 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) के क्षेत्र को बिक्रय करने तथा हस्तानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और होगा और उससे प्राप्त कुल रकमों को प्राप्त करने का पूर्ण हक प्राप्त होगा।

24 यह कि भवन निर्माण पूर्ण होने पर जमीन मालिकगण अगर विकासकर्त्ता फ्लैट बेचने या हस्तानान्तरित करने के समय या किसी दूसरे व्यक्ति को देने के समय जिसमें स्वामित्व, कब्जा और हकियत हस्तानान्तरित के वास्ते जमीन मालिकगण का स्वीकृति चाहेगें तो उसपर जमीन मालिकगण हस्ताक्षर कर अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान करेगें।

25 यह कि भवन निर्माण के समय विकासकर्त्ता किसी बैंक आर्थिक संस्था या किसी भी प्राधिकार के कम समय के लिए किसी व्यक्तिगत खरीदार के लिए निर्माण को पूरा करने हेतु कानूनी इजारा सिर्फ विकासकर्त्ता अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से को बंधक रख सकतें हैं और उस हालत में अगर जमीन मालिकगण की स्वीकृति चाहेगें तो जमीन मालिकगण आपस में परामर्श करके स्वीकृति प्रदान करेगें। परन्तु, जमीन मालिकगण के हिस्से में किसी भी प्रकार का इजारा नहीं करेगें।

26 यह कि विकासकर्त्ता यह वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जो भी रुपया अपने हिस्से के जमीन या मकान को बंधक रखकर इजारा करके या किसी भी तरह से प्राप्त करेगें उसको निर्माण के कार्य में हीं खर्च करेगें और दूसरे कार्य में खर्च नहीं करेगें।

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director

27 यह कि अगर यह पाया जाये कि विकासकर्त्ता किसी आर्थिक संस्था या किसी व्यक्ति से उपरोक्त अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से के जमीन पर कर्ज लेकर दूसरे मद में खर्च किये हुए हैं तो उसका बंधन जमीन मालिकगण प्रथम पक्ष पर नहीं होगा।

28 यह कि विकासकर्त्ता यह भी स्वीकार करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरा कर्ज विकासकर्त्ता या इनके खरीदारों के हिस्से से वसुल किया जायेगा और जमीन मालिकगण को उससे कोई सम्बंध नही होगा।

29 यह कि अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विकासकर्त्ता या उनके खरीदार अपने 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) बनावट के साथ-साथ अनुसूचि - 1 में वर्णित भूखण्डों में अनुपातित भू-भाग के निर्विवाद स्वामी पूर्ण रूपेन होंगे इससे जमीन मालिकगण तथा इस सभी के उत्तराधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधार पर विरोध, आपत्ति तथा दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को स्थाई पावर ऑफ एटर्नी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसप्रकार विकासकर्त्ता को उपरोक्त भूखंडो पर फ्लैट निमार्ण से सम्बंधित सभी तरह का कार्य करने या विकास करने नक्शा बनाने भवन निर्माण करने या उसको बेचने का शान्ति पूर्ण अधिकार होगा।

30 यह कि जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण सम्पति जिसका विकास करना है उसपर किसी तरह का नोटिस या घोषणा जो जमीन से भू-अर्जन के लिए हो किसी भी कानून के अन्तर्गत आज तक नहीं हुआ है और उपरोक्त सम्पति बिल्कुल पाक साफ है।

31 यह कि जमीन मालिकगण यह भी कहती हैं और विश्वास दिलातें हैं कि पटना नगर निगम अथवा किसी भी अधिकार क्षेत्र द्वारा लेने या भू-अर्जन हेतु इस सम्पति में या उसके किसी हिस्से पर कोई नोटिस या आदेश पारित नहीं हुआ हैं। और किसी भी तरह का निगम या किसी दूसरे अधिकारी द्वारा कोई अनुरोध नहीं हुआ है जिससे उपरोक्त सम्पति या उसका कोई हिस्सा प्रभावित होगा।

32 यह कि कोई कानूनी दावा मांग जप्ति कोई निशेषधात्मक आदेश किसी कर प्राधिकारी द्वारा लगान अधिकारी द्वारा

Sai Shrinidhi Developers Pvt. Ltd.
Director

निगम अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा या कोई स्थानीय अधिकार द्वारा किसी तरह का ऐसा आदेश नहीं है।

33 यह कि कोई जप्ति फैसले के पहले या वाद नहीं है और कोई दावा मांग मुकदमा डिग्री निषेधाज्ञा लम्बित मुकदमा नोटिस दिवालियापन का नोटिस आवेदन-पत्र फैसले का आदेश इस जमीन पर या किसी हिस्से पर जारी नहीं है।

34 जमीन मालिकगण के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति को स्वामित्व, हकियत अभिरुची या हिस्सा उपरोक्त सम्पति में नहीं है या उसके हिस्से पर हिस्सेदार के हैसयित से या गोतिया के हैसियत से या सम्मिलित परिवार या किसी भी तरह से कोई हकियत नहीं हैं।

35 यह कि जमीन मालिकगण वेनामीदार या न्यासी उपरोक्त सम्पति के निर्वाह या उसके रखने के सम्बंध में नहीं है। और सम्मिलित परिवार की सम्पति से अर्जित नहीं है।

36 यह कि जमीन मालिकगण स्थाई रुप से वादा करते हैं कि वे उपरोक्त सम्पति या उसके किसी हिस्से को न तो बेचेगें न किसी को देगें और न हस्तान्तरित करने का कोई कागज लिखने या किसी खास मकसद हेतु उपरोक्त सम्पति को विकासकर्त्ता को जमीन पर विकास करने के पूर्व पूर्ण कब्जा देगें और आगे कोई भी कार्य करने कोई दस्तावेज लिखने और कोई काम ऐसा नहीं करेगें जो इस शर्तनामा के नियमों के या घोषणा के विरुद्ध हो। परन्तु जमीन पर विकास हो जाने के बाद जमीन मालिकगण को यह अधिकार होगा की वे अपने 50 (पचास) प्रतिशत हिस्से को किसी को हस्तान्तरित कर सकते हैं।

37 यह कि जमीन मालिकगण इस घोषणा-पत्र को बिना कोई क्षति पहुंचाये वादा करती हैं कि इस सम्पति (जमीन) के संबंध में जो भी सन्देह या सक पैदा होगा अपने खर्च से इस सारे सक और सन्देह को विकासकर्त्ता के कथानुसार या उनके प्रतिनिधि के अनुसार दुर करेगें।

38 यह कि घोषणा-पत्र के सत्यापित करने हेतु जो उपर किया गया है उपरोक्त जमीन मालिकगण और खास करके अपने स्थाई स्वामित्व के संबंध में और अपने हकियत के सम्बन्ध में घोड्डणा करती हैं कि यह सम्पति हर तरह के वारदैन से मुक्त हैं और पुनः वादा करते हैं कि उक्त सम्पति पर या उसके किसी हिस्से पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेगें और

न उसको किसी दूसरे के हाथ बेचेगें और न उसको कोई ऐसा काम करेगें केवल जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार करेगें और जमीन मालिकगण यह भी वादा करते हैं कि सक्षम अधिकारी के यहां सम्पति से संबंधित सत्यापन हेतु सारे कागजात उपस्थित करेगें।

39 यह कि जमीन मालिकगण निर्माण में किसी तरह का वाधा उपस्थित नहीं करेगें। लेकिन मकान के निर्माण उसमें समान को लगाने एवं उसको निरीक्षण करने का राजी होगें। अगर निर्माण में कोई परामर्श लेना हो या कोई परिवर्तन करना हो तो जमीन मालिकगण लिखित परामर्श देगें ।

40 यह कि एकरारनामा के निषपादन के दिन के पहले, यदि जमीन मालिकगण के द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण लिए गये अपने हिस्से के ऋण विकासकर्त्ता पर देनदारी नहीं होगा। लेकिन एकरारानामा के निष्पादन के तिथि के बाद तथा भवन निर्माण के समय बिकासकर्त्ता द्वारा या इनके खरीदार एवं खरीदारों द्वारा विकासकर्त्ता के हिस्से से जो भी ऋण ली जाती है तो उस उक्त ऋण को बिकासकर्त्ता वित्तीय संस्था को भुगतान करेगें या भुगतान कराने में सहयोग करेगें और ऋण देने के लिए जमीन मालिकगण जिम्मेवार नहीं होगें।

41 यह कि जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता द्वारा उनके नाम में नक्शा पारित करने हेतु स्थानीय अधिकारी को दे सकते हैं इसमें जमीन मालिकगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जो भी शुल्क या खर्च नक्शा स्वीकृति हेतु होगा विकासकर्त्ता के द्वारा वहन किया जायेगा।

42 यह कि विकासकर्त्ता किसी भी तरह से सीधे या चक्करदार कोई गलती नहीं करेगें जिससे जमीन मालिकगण के स्वामित्व अधिकार या अभिरुची में वाधा पहुंचे। जबतक कि जमीन मालिकगण के क्षेत्र का कब्जा विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण को न दे दें।

43 यह कि विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण को कर्ज मुक्त रखेगें और हमेशा रखेगें। अगर किसी दावे का दावा, क्षतिपूर्ति या खर्च जो कि कार्यकर्त्ता शिल्पी या निमंत्रित व्यक्तियों द्वारा किया जाये उससे भी कर्ज मुक्त रखेगें। चाहें वह नौकरी विकास कर्त्ता के द्वारा दी जाय अथवा भवन निर्माण के समय हो।

नेदवतीदेवी
ता.V-2-2018

रजनीशकुमारगुप्ता
9-2-18

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director
01/02/2018

Swarna kumari
9-2-18

मनीष कुमार गुप्ता
9-2-18

44 विकासकर्त्ता गुणवक्ता नक्शा या ले-आउट और उसके गुंणवक्ता पर पूर्ण ध्याण देगें एवं जमीन मालिकगण को गुणवक्ता जाँचने का पूर्ण अधिकार होगा।

45 यह कि जमीन मालिकगण पूर्ण बने हुए फ्लैटों एवं कार पार्किंग स्पेशों में अपने हिस्से के रुप में उसका कीमत प्राप्त करेगें और भविष्य में किसी तरह का विकासकर्त्ता के हिस्से में बने हुए फ्लैटों एवं कार पार्किंग स्पेशों पर कोई भी मांग या प्रिमियम लेने का उनको अधिकार नहीं होगा।

46 यह कि जमीन मालिकगण के क्षेत्र को उसी शर्त और नियम पर अपने कब्जे में रखेगें जैसा कि जमीन मालिकगण और विकासकर्त्ता के बीच में आपसी सदभाव से तय होकर स्तर निर्धारित किया गया है। सभी फ्लैट और बरामदा, बालकोनी, कालम, कप बोर्ड एवं बिजली आदि का जमीन मालिकगण, विकासकर्त्ता और खरीदारगण/आवंटितकर्त्ता होगें। भवन निर्माण के उपरांत जब जमीन मालिकगण को 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) के रूप में निर्मित भवन पर दखल कब्जा मिल जायेगा तो जमीन मालिकगण या इनके खरीदारगण तथा विकासकर्त्ता इसके खरीदारगण भवन को रख-रखाव तथा सफाई एवं रंगाई-पोताई तथा सुरक्षा के लिए एक ऑनर एसोशियसन होगा जिसे भवनो में रहने वाले जमीन मालिकगण तथा इनके खरीदारगण और विकासकर्त्ता तथा इनके खरीदारगण ऑनर एसोशियशन का लिखित नियमावली का निर्माण कर बनायेगें तथा इसके सभी सदस्यगण होगें तथा भवन के रख-रखाव एवं सफाई-सुथरा रखने हेतु जो हिस्सा प्रत्येक फ्लैट वालों का होगा उसका भुगतान वे सभी ऑनर एसोशियसन को करेगें तथा सभी ऑर्नस एसोशियसन को चलाने हेतु नियमावली के आधार पर भवन के रख-रखाव हेतु पदाधिकारियों का निर्वाचान अपने अनुरूप पद का निर्धारण करते हुए करेगें।

47 यह कि विकासकर्त्ता तथा जमीन मालिकगण आपस में यह भी सहमत हैं कि उस बहुमंजीला भवन, जो चार खण्ड का होगा, को केवल निवास के काम में लाया जायेगा और उसमे कोई व्यापारिक काम नही लिया जायेगा और भवन का नाम **"SHUBH'S PRABHU COMPLEX, PHASE -1"** होगा।

48 यह कि स्वीकृत नक्शा के मुताबिक निर्माण कार्य के वक्त कोई भी जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को कब्जा से नहीं

हटायेगे और जमीन मालिकगण विकासकत्ता के साथ जरूरत पड़ने पर बिक्रय-पत्र स्थाई हस्तान्तरण-पत्र या मुक्ति-पत्र जैसा कि उपर लिखा हुआ है उसका निबंधन करने के लिए बाधय होगें और अगर इसमें जमीन मालिकगण ऐसा नहीं करेगें तो विकासकर्त्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि वे जमीन और मकान पर अपना पूर्ण कब्जा रखे साथ-साथ जमीन मालिकगण के खर्चे पर न्यायालय में प्रकिया द्वारा बिक्रय-पत्र को निबंधित कर देगें और उसमें जमीन मालिकगण को कोई आपत्ति नहीं होगा और न तो बिक्रय-पत्र के निबंधन या निष्पादन में कोई आपत्ति हीं करेगें।

49. यह कि बहुमंजिला इमारत का बनावट इस एकरारनामा में दिए गए शर्तो के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भवन में जो भी लिफ्ट, ट्रॉन्सफार्मर, पानी टंकी, बोंरिग, जनरेटर, फ्लैटों में लगा इन्टर कॉम एवं जमीन मालिकगण के हिस्से का बिजली कनेक्शन तथा अनुसूचि - 2 में वर्णित सभी प्रकार की फिटींगस एवं अन्य सामाग्रीयाँ का मूल्य जमीन मालिकगण नहीं देगें। यह विकासकर्त्ता द्वारा व्यय किया जाएगा।

50. यह कि इस विकास एकरारनामा के संबंध में अगर कोई विवाद या पक्षकारों में मतभेद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा पंचायत के द्वारा दिये गये फैसला के अनुरूप किया जायेगा। जिसमें सभी पक्षकार भारतीय पंचायती अधिनियम 1996 के अधीन पक्षकार पंच नियुक्त करेगें और इसके द्वारा दिये गये फैसला अंतिम होगा और दिये गये फैसले को सभी पक्षगण स्वीकार करने को बाध्य होंगे।

51. यह कि विकासकर्त्ता यह भी वादा करता है उस बहुमंजिली भवन का निर्माण इस एकरारनामा के अनुसूचि -2 में निर्धारित किये गये तकनिकी मानदंडों के अनुसार ही होगा।

52. यह कि जमीन मालिकगण समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपनी निम्न वर्णित भूमि पर भवन निर्माण हेतू विकासकर्त्ता को लेकर देगें।

53. यह कि दोनों पक्षों यह भी सहमति बनी है कि निम्न अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि पर पटना नगर निगम/फुलवारी नगर परिषद से नक्शा पास होने के बाद इस विकास एकरारनामा में वर्णित प्रतिशत के अनुसार दोनों पक्षों का सभी तल्ले पर बने फ्लैटों में हिस्सा होगा और उसी के

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director

अनुसार शेयर डिस्ट्रीब्युशन विलेख का निष्पादन किया जायेगा।

अनुसूचि – 1

सम्पति का विवरण इस एकरारनामा में निम्नलिखित है:–

क्षेत्रफल 7888 वर्गफीट (सात हजार आठ सौ अठासी वर्गफीट) यानि कि 18.1083 डिसमिल परती आवासीय भूमि मिनजुमला एराजी 11 कट्ठा में से जिसका हकियत कास्त रैयती नगदी कायमी वाके मौजा – आलमगीर नगर (एम.वी.आर. कोर्ड – 008), वर्त्तमान महल्ला मित्रमंडल कॉलोनी, परगना वो सर्वे थाना – फुलवारी, अवर निबंधन कार्यालय – फुलवारी, जिला निबंधन कार्यालय वो जिला – पटना अन्दर थाना सं0 – 35 (पैंतीस), तौजी नं0 – 5190, जिसका सलाना मालगुजारी अंकेन् – 3/– रूपये अलावे शेष है जो बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी फुलवारी (पटना) को जमाबन्दी सं0 – 7628 सन् 2015–16 पर जमीन मालिक सं0 – 1 के पति, जमीन मालिकगण सं0 – 2 एवं 4 के पिता और जमीन मालिक सं0 – 3 के दादा प्रभु नारायण गुप्ता के नाम से देय है जिसकी सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित है:–

खाता नं0	खेसरा नं0	एराजी
706 वो 719	811, 813 वो 812	7888 वर्गफीट

चौहद्दी

उत्तर :– पार्ट प्लॉट नीज जमीन मालिकगण।

दक्षिण :– 20' फीट चौड़ा सहायक सड़क बादहु अपर्णा दयाल एपार्टमेंट

पूरब :– 20' फीट चौड़ा सहायक सड़क एवं श्री कृष्ण कान्त ओझा का मकान

पश्चिम :– पार्ट प्लॉट नीज जमीन मालिकगण।

पैमाईश

उत्तर :– 68 फीट दक्षिण :– 68 फीट

पूरब :– 116 फीट पश्चिम :– 116 फीट

जमीन का मूल्यांकन अंकेन्–1,44,90,000/– (एक करोड चौआलीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र

अनुसूचि – 2

भवन के निर्माण हेतु लगने वाले सामग्रीयों एवं निर्माणों का विस्तार पूर्वक विवरण निम्नलिखित है:–

1. फाउन्डेशन : आर.सी.सी. पाइलिंग स्ट्रक्चरल डिजाइनर के अनुसार।
2. स्ट्रक्चर : आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क : प्रथम श्रेणी का ईटवर्क सीमेन्ट मोर्टर के साथ
4. छत : आर.सी.सी.
5. फर्श : बिकट्री फाईड टाईल्स 2'/2' फुट कजेरिया या जानसन एण्ड जानसन या सोमानी इत्यादि
6. दरवाजा : सखुआ/कपूर साल लकड़ी का चौखट, 32 मि.मि. मोटा फैक्टरी से निर्मित फ्लश डोर पैनल प्राईमर एवं दो कोट रंग सहित।
7. खिड़की : लोहे का ग्रील व अलुमुनियम खिड़की शीशा लगाकर।
8. रसोईघर : काला या उजला या हरा ग्रेनाईट का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 2' ग्लेज्ड टाईल्स 12''/18'' ईंच
9. बाथरूम : दीवाल में 7' फीट तक 12''/18'' ईंच ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में बिकट्री फाईड टाईल्स प्लोरिंग, साथ हीं जल आपूर्त्ति फिटिंग आईएसआई मार्क का वाटर प्रुफीयंग के साथ।
10. विद्युत बायरिंग : कॉन्सिल्ड, पी.बी.सी. कॉन्डयूट वायरिंग सहित एसेटेन्डर आईएसआई मार्क का क्वालिटी का फिटिंग स्वीच के साथ एंकर या फिलीप्स इत्यादि कम्पनी का।
11. दीवाल फिनिशिंग : अन्दर एवं बाहर की सभी दिवाल वाल पुट्टी एवं अन्दर के दिवाल पर प्राईमर एवं बाहरी दिवाल पर वेदर कोर्ट पेन्ट।
12. टी.भी.प्वाईन्ट : ड्राईंग रूम में एक प्वाईन्ट मास्टर बेड रूम में एक प्वांट
13. टेलीफोन प्वाइंट : ड्राईंग रूम में एक प्वाईन्ट
14. सीवेज : सीवेज डिजाइन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
15. लिफ्ट : चार से छः वक्ति का आई.एस.आई. मार्क वाला
16. जनरेटर : कम-से-कम 300 वाट प्रति फ्लैट। Kiloshker Sound Less Generator or Mahindra का कोई ISI Mark का

Sai Shrinkala Developers Pvt. Ltd.
Director

17. ट्रान्सफार्मर : Electric Connection

18. पार्किंग : Checker Tiles

19. Common Area : सीढ़ी पर Stainless Steel रेलिंग।

इस वास्ते यह वसीका उन्नयन मनोबंध /विकासकार्य एकरारनामा भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष्ज्ञ अपने मानसिक वो शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुसचि दबाव वो धमकाव के अपने तथा परिवार के हानि-लाभ का पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर एक दूसरे के बनाम वो वहक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिए कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहों का हस्ताक्षर

1. सीता गुप्ता 9-2-18
w/o रंजनीश कुमार गुप्ता
मित्र मण्डल कॉलोनी
फुलवारी पटना

2. Kundan Kumar 9/2/18

S/o. KALI PASWAN
CHITRAGUPTA NAGAR
KANKARBAGH
PATNA 800020

भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

1. वेदवटीदेवी ता: 9-2-2018
2. रजनीश कुमार गुप्ता 9-2-18
3. Swarna kumari 9-2-18
4. मनीष कुमार गुप्ता 9-2-18

विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Sai Shrinkhala Developers Pvt. Ltd.
Director
09/02/2018

टंकणकर्त्ता

(अमरजीत कुमार)
राजेन्द्र पथ पटना

प्रारूपकर्त्ता

9/2/18

(रामानन्द प्रसाद केशरी)
अधिवक्ता
समाहारणालय वार एसोसिएसन
पटना

9/2/18
(अमित कुमार) रजा

सभी प्रकार के रोक से मुक्त पाया
9/2/18
(अमित कुमार)

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 290800/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 316825/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25		
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
								TOTAL-	25025		

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	
Proc.Fee	0	1000
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 26025

Registering Officer
Patna

Date: 09/02/2018

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 09th February 2018 by Vedwati Devi Late Prabhu Narayan Gupta by profession House Wife. Status - Executant

वेदवती देवी

Registering Officer
Patna

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:09/02/2018**

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Kundan Kumar' age '37' Sex 'M', 'Kali Paswan', resident of 'Chitragupt Nagar, Lohiya Nagar, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 09/02/2018

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 33 on pages on 394 -417, for the year 2018 and stored in CD volume No. CD-5 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 09/02/2018

Token No. : 1350 **Year : 2018** **S.No. : 1350** **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . : 1209**

बिहार सरकार

View GRN Details Live

Download e-Challan

GRN	BHR2018020286151M VIEW
DSRO CODE	**2800**
Party Name	**SAI SHRINKHALA DEVELOPERS PVT LTD**
Stamp Duty-(R0030021030001)	0
Registration & Other Fees-(R0030031040001)	25025
LLR & Proc Fee-(R0029008000006)	0
Challan Total Amount	**25025**
Status	**Success**
Payment Date	2018-02-09 13:04:45.0
CIN	null

copyright © 2015 Registration, Excise & Prohibition Department

Powered by IL&FS Technologies Ltd.